भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 316

17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत सागरमित्रों को लाभ

***316. श्री शफी परम्बिल:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत भर्ती किए गए सागरमित्रों का राज्यवार ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ख) पीएमएमएसवाई के तहत सागरमित्रों की मूलभूत योग्यता, उनकी भर्ती प्रक्रिया तथा उनको प्रदान किए गए रोजगार, वेतन और अन्य लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सागरमित्रों को कम वेतन दिया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की उनके वेतन और यात्रा भत्ता (टीए) में वृद्धि करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत सागर मित्रों को लाभ के संबंध में 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए श्री शफी परम्बिल, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (घ) : मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्यपालन विभाग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 20050 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत 8871.45 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 20864.29 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान सरकारों, मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य मात्स्यिकी हितधारकों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप (i) देश में वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 के दौरान 141.64 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 175.45 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है, (ii) मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं के कारण मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगभग 58 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, (iii) मत्स्य निर्यात 2019-20 में 46,663 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,525 करोड़ रुपये हो गया है, (iv) प्रति व्यक्ति मछली की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गई है, (v) जलीय कृषि उत्पादकता बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है (vi) पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान 10-15% तक घटा है और राष्ट्रीय जीवीए में मात्स्यिकी क्षेत्र का योगदान 0.98% (2019-20 में) से बढ़कर 1.12% (2022-23 में) (स्थिर मूल्यों पर), कृषि जीवीए 2019-20 में 6.52% से बढ़कर 2022-23 में 7.26% (स्थिर मूल्यों पर) हो गया है ।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई थी कि योजना अवधि के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोन्ट्रेक्चुयल आधार पर कुल 3477 सागर मित्रों को नियोजित किया जाएगा और उन्हें समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रति तटीय मत्स्यन गांव में एक सागर मित्र की दर से तैनात किया जाएगा । उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

(i) सरकार और मछुआरों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना तथा समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित मछुआरों की किसी भी मांग/सेवा के लिए प्रथम संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करना

(ii) केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में स्थानीय मछुआरों के बीच जागरूकता पैदा करना

(iii) मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लागू करना और मत्स्यन नावों (फिशिंग क्राफ्ट्स) और कलर कोडिंग की निगरानी करना ।

(iv) केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मात्स्यिकी विभाग की सहायता करना ।

(v) मौसम पूर्वानुमान (वेदर फोरकास्ट), पोटेन्शियल फिशिंग जोन्स (पीएफजेड) और प्राकृतिक आपदाओं पर जानकारी का प्रसार

(vi) मछुआरों के बीच मछलियों को स्वछता से हैंडल करने, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा जीवन और कार्य स्थल पर स्वछता बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करना

(vii) मात्स्यिकी संसाधनों के स्थायी (सस्टेनेबल) उपयोग, जिम्मेदार मात्स्यिकी के लिए कोड ऑफ कनडक्ट (सीसीआरएफ) सहित प्रासंगिक विनियमन, महासागर और तटीय इकोसिस्टम के संरक्षण के महत्व, इल्लीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड (आईयूयू) फिशिंग की रोकथाम आदि पर मछुआरों को सेंसिटाईज़ करना ।

(viii) वैकल्पिक आजीविका, पोस्ट हार्वेस्ट और मारकेटिंग गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

(ix) दैनिक मत्स्य उत्पादन, मछली की कीमत और मारकेटिंग सूचना, फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स पर फिशिंग वेसल्स की उपस्थिति और उनकी एंट्री एवं एक्सिट के संबंध में सूचना/डेटा संकलित करना और सरकार को ऐसे डेटा प्रदान करना

(x) मछुआरों को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना या प्रशिक्षण प्रदान करना

(xi) अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी असामान्य गतिविधि/घटना की रिपोर्ट करना

(xii) केसीसी कैंपों, बीमा और आजीविका कार्यक्रम के संचालन के लिए मछुआरों को संगठित करना

(xiii) चक्रवात/तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान जिला प्रशासन की सहायता करना तथा मछुआरों के लिए राहत और पुनर्वास उपाय करना

(xiv) केन्द्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों के प्रस्ताव के अनुकूल स्वीकृत कुल 2494 सागर मित्रों में से अब तक कुल 2015 सागर मित्र नियोजित किए जा चुके हैं। स्वीकृत और नियोजित सागर मित्रों की राज्यों/संघ शासित प्रदेश वार विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

पीएमएमएसवाई के तहत शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि सागर मित्र एक मात्स्यिकी पेशेवर होगा, जिसके पास मात्स्यिकी विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/प्राणी विज्ञान में न्यूनतम स्नातक की डिग्री होगी। इसके बाद, तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, सागर मित्र की योग्यता अब विज्ञान स्ट्रीम में 12 वीं पास निर्धारित की गई है, जिसमें उन कैंडीडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है जो (i) निर्धारित से अधिक योग्यता वाले हैं (ii) स्थानीय मछुआरा समुदायों के व्यक्ति हैं और (iii) महिला केनडिडेट हैं । इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत यह निर्धारित है कि सागर मित्रों का नियोजन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयुक्त योग्यता-आधारित चयन पद्धति के आधार पर ही, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, गांव की स्थानीय मछुआरा सहकारी समिति द्वारा अथवा साक्षात्कार द्वारा अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएगी । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रति सागर मित्र को प्रति माह 15000/- रुपए की निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और प्रति माह 300/- रुपए मोबाईल उपयोग के लिए प्रदान किए जाते हैं । इसके अलावा, सागर मित्र के रूप में नियोजित कैंडीडेट्स को 2 सप्ताह की अवधि के लिए तिमाही आधार पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में सागर मित्रों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*****

अनुबंध- I

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत सागर मित्रों को लाभ के संबंध में 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए श्री शफी परम्बिल, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**स्वीकृत सागर मित्रों की संख्या**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार नियोजित किए गए सागर मित्रों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार	70	54
2.	आंध्र प्रदेश	350	325
3.	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	06	00
4.	गोवा	38	38
5.	गुजरात	260	114
6.	कर्नाटक	120	35
7.	केरल	222	222
8.	लक्षद्वीप	10	00
9.	महाराष्ट्र	173	162
10.	ओडिशा	600	486
11.	पुदुचेरी	37	00
12.	तमिलनाडु	608	579
13.	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	**2494**	**2015**

*****